न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– रघुनाथ, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या 495 / 2018   तारीख रजु 24–12–18

उनवान

1–भजन पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी गंभीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2–श्योराम पुत्र मनफूल मीना निवासी गंभीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3–जगराम पुत्र मनफूल मीना निवासी गंभीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4–जयराम पुत्र मनफूल मीना निवासी गंभीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5–कालूराम पुत्र राजाराम मीना निवासी गंभीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1– श्रीमति गोकल पत्नि स्व0 मोहनलाल जाति मीना निवासी गंभीरा तहसील व जिला सवाई माधापुर
2– ओमप्रकाश दत्तक पुत्र स्व0 मोहनलाल जाति मीना
3– प्रहलाद पुत्र हजारी जाति मीना
4–सूरजमल पुत्र हजारी जाति मीना
5–मुकुट लाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी गंभीरा तहसील सवाई माधोपुर
6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित अभिभाषगण

श्री श्रीदास सिंह , एडवोकेट– वकील प्रार्थीगण
श्री शिवचरण सोनी, एडवोकेट–वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक : 01–11–19

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने पर ,प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेत पास पास स्थित है । प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1236 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा ग्राम गंभीरा में स्थित है । जो प्रार्थीगण की पुश्तेनी आराजी है । प्रार्थीगण ने इन आराजी में अमरूदो का बगीचा लगा रखा है तथा कुआं भी बना हुआ है । प्रार्थीगण अपने बगीचे व खेत की सिचाई

करते है । नवीन सेटलमेन्ट में चकबंदी कर्मचारियो ने प्रार्थीगण की इय आराजी के खसरा नंबर 3291 रकबा 0.15है0 , ख0 नं0 3297 रकबा 0.15है0 , ख0नं0 3298 रकबा 0.20है0 गलत तरीके से डाल दिये है । मौके की स्थिति के अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबर 1236 रकबा 2 बीघा 05 विस्वा के नये खसरा नंबर 3301 रकबा 0.06है0 ,ख0नं0 3302 रकबा 0.50है0 होते है जिनमें से खसरा नंबर 3301 रकबा 0.06है0 तो चकबंदी कर्मचारियो ने प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया परन्तु संहवन से ख0नं0 3302 रकबा 0.50है0 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया है । आराजी खसरा नंबर 3302 से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है , न ही कब्जा काश्त है । अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी का पुराना खसरा नंबर 1238 रकबा 2 बीघा है जिसके नये खसरा नंबर 3328 व 3330 बने है जिस पर ही अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है । चकबंदी कर्मचारियो द्वारा की गई इस गलती की जानकारी प्रार्थीगण को रोड का सर्वे किये जाने के समय हुई । दिनांक 2–07–18को राजस्व रिकार्ड की नकले हल्का पटवारी प्राप्त करने पर हुई ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नंबर 3302 रकबा 0.50है0 की खातेदारी अप्रार्थीण के नाम से हटाई जाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे तथा आराजी खसरा नंबर 3291, 3297 व 3298 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से हटाई जावे ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये। अप्रार्थी नंबर 4व 5 की ओर से उनके वकील उपस्थित हुये लेकिन उन्होने कोई जवांब प्रार्थना पत्र पेश नही किया । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से रिपोर्ट पेश की है जिसमें अंकित किया है कि ख0नं0 1236 जमाबंदी सम्वत 2041–44 में मनफूल पुत्र ओकार मीना साकिन दे हके नाम 2 बीघा 5 विस्वा भूमि राहिन भूमि विकास बैंक के नाम दर्ज रिकार्ड थी । नामा0 सं0 1034 व 88 से मृतक के वारीसान के नाम दर्ज रिकार्ड हुई । तुलनात्मक क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1236 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा के हाल खसरा नंबर 3297 रकबा 0.15है0 ,3298 रकबा 0.20है0 , ख0 नं0 3299 रकबा 0.15है0, ख0नं0 3301 रकबा 0.06है0 बने है व साबिक खसरा नंबर 1238 के हाल ख0नं0 3300 रकबा 0.20है0, 3328 रकबा 0.25है0 ,3329 रकबा 0.20है0 ,3330 रकबा 0.24है0 ,3344 रकबा 0.17है0, 3302 रकबा 0.50है0 बने है । खसरा नंबर 3328 रकबा 0.25है0 ,3329 रकबा 0.20है0 ,3330 रकबा 0.24है0 जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 में सिवायचक दर्ज है । जमाबंदी साम्वत 2071से 2074 में खसरा नंबर 3297 रकबा 0.15है0,3298 रकबा 0.20है0 , ख0 नं0 3299 रकबा 0.15है0, ख0नं0 3301 रकबा 0.06है0कुल किता चार रकबा 0.56है0 भजन ,श्योराम पिता मनफूल हिस्सा 2/5 जगराम ,जयराम पिता मनफूल हिस्सा 2/5 कालू पुत्र राजाराम हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नंबरान पर खातेदारो का कब्जा कास्त है ।

हाल खसरा नंबर 3302 साबिक खसरा नंबर 1238 मुताबिक तुलनात्मक क्षेत्रफल से बने है । बंदोबस्त से पूर्व ही नक्शा शीट का हाल नक्शा शीट से मिलान करने पर साबिक खसरा नंबर 1236 2 बीघा 5 विस्वा हाल खसरा नंबर 3301 रकबा 0.06है0 ,3202 रकबा 0.50है0 से मिलान होता है । जबकि तुलनात्मक क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 3302 रकबा 0.50है0 साबिक खसरा नंबर 1238 से बना है । जमाबंदी सम्वत 2071–2074 में खसरा नंबर 3302 रकबा 0.50है0 मोहनलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/4 मुकुटलाल पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा हिस्सा 1/4, प्रहलाद पुत्र हजारी हिस्सा 1/4 ,सूरजमल पुत्र हजारी हिस्सा 1/4जाति मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है । खसरा नंबर 3302 रकबा 0.50है0 पर खातेदार का कब्जा नही है । मौके पर परिवादी भजन वगैरहा काबिज है । खसरा नंबर 3328 रकबा 0.25है0 ,3329

5

रकबा 0.20है0 ,3330 रकबा 0.24है0कुल किता 3 कुल रकबा 0.50है0 पर प्रतिवादी मोहनलाल वगैरहा काबिज है ।

हमने उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया । तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार हाल खसरा नंबर 3302 साबिक खसरा नंबर 1238 मुताबिक तुलनात्मक क्षेत्रफल से बने है । बंदोबस्त से पूर्व ही नक्शा शीट का हाल नक्शा शीट से मिलान करने पर साबिक खसरा नंबर 1236 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा हाल खसरा नंबर 3301 रकबा 0.06है0 ,3202 रकबा 0.50है0 से मिलान होता है । जबकि तुलनात्मक क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 3302 रकबा 0.50है0 साबिक खसरा नंबर 1238 से बना है । जमाबंदी सम्वत 2071–2074 में खसरा नंबर 3302 रकबा 0.50है0 मोहनलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/4 मुकुटलाल पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा हिस्सा 1/4, प्रहलाद पुत्र हजारी हिस्सा 1/4 ,सूरजमल पुत्र हजारी हिस्सा 1/4 जाति मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नंबर 3302 रकबा 0.50है0 पर खातेदार का कब्जा नही है । मौके पर परिवादी भजन वगैरहा काबिज है । खसरा नंबर 3328 रकबा 0.25है0 ,3329 रकबा 0.20है0 ,3330 रकबा 0.24है0कुल किता 3 कुल रकबा 0.50है0 पर प्रतिवादी मोहनलाल वगैरहा काबिज है ।

इस प्रकार साबिक नक्शा ट्रेस व नवीन नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा खसरा नंबर 3301 व 3302 पर है । खसरा नंबर 3301 रकबा 0.0.06है0 प्रार्थीगण की खातेदारी में है परन्तु खसरा नंबर 3302 रकबा 0.50है0 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो रहा है जैसा कि तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार साबित है तथा कब्जा भी प्रार्थीगण का उक्त खातेदारी पर है ।भूप्रबन्ध के दौरान सैटलमेंन्ट के कर्मचारियो द्वारा साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थीगण को खातेदारी उक्त खसरा नंबर नही दी जाकर अन्य खसरा नंबर 3297, 3298, 3299 पर दे दी गई है , जो गलत है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नंबर 3302 रकबा 0.50है0 वाके ग्राम गंभीरा जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में है से हजफ किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 3297, रकबा 0.15है0 , 3298 रकबा 0.20है0 ,3299 रकबा 0.15है0 वाके ग्राम गंभीरा पर प्रार्थीगण का कब्जा नही होने के कारण सिवायचक घोषित किया जाता है । तहसीलदार सवाई माधोपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधित करे ।

निर्णय आज दिनांक 01-11-19 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो ।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.12.23 11:33:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: